प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(जून, 2017)

*****

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है।
2. सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु एक वर्ष की वरिष्ठ रेजिडेंसी को अनिवार्य बनाने के लिए आयुर्विज्ञान संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता विनियम 1998 में संशोधन लाया गया है।
3. मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया कि वे मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को स्वास्थ्य अभियानों में तथा मेडिकल कॉलेज के आस-पास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में शामिल करें और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को स्वेच्छा से एक गांव / मोहल्ला को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करें तथा बार-बार दौरा करके रोग का प्रोफाइल बनाएं/निवारक स्वास्थ्य क्रिया-कलाप संचालित करें और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करें।
4. स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम 1997 में संशोधन लाया गया है और उसके द्वारा खंड 5 के तहत छात्र का चयन उप-खंड "5ए" (2) और (3) को प्रतिस्थापित किया गया है। अब योगदान करने वाले राज्यों की 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों तथा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों के अधीन आयुर्विज्ञान शैक्षिक संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों की सभी एमबीबीएस सीटों के लिए काउंसलिंग हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विशेष प्राधिकरण बनाया गया है। साथ ही, किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थानों, नगर पालिकाओं अथवा किसी कंपनी के अधीनस्थ आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थानों सहित सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला हेतु राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा।
5. मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियम,1999 में संशोधन लाया गया है और उसके द्वारा खंड 2 (2) में **"अर्हक मानदंडों"** के तहत 5 वर्ष की छूट दी गई है।
6. एक एमसीआई सदस्य को अधिसूचित किया गया है।
7. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में डी.एम (आंको-पैथोलोजी) पाठ्यक्रम जोड़ा गया है।
8. एक सदस्य के संबंध में दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 3 (घ) के अंतर्गत डीसीआई सदस्यता के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
9. 234 स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संबंध में मान्यता प्रदान करने के लिए अधिसूचना / पत्र जारी किए गए हैं।
10. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 2 कालेजों के संबंध में मान्यता प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।
11. "जिला / रेफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध नए चिकित्सा कालेजों की स्थापना" संबंधी केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 165 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

12. चीन के दूध और दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर भारत सरकार के संबंद्ध विभागों / मंत्रालयों के साथ समीक्षा की गई थी, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि चीन के दूध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर एक और वर्ष की अवधि तक प्रतिबंध बढ़ा दिया जाए।
13. अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई), जापान के श्री तेत्सुया तनाका और श्री मुराकामी ने जून, 2017 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में अपर सचिव (स्वास्थ्य) के साथ औपचारिक मुलाकात की।
14. मंत्रालय ने देश में विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को 21 रुपए प्रति किग्रा. की रियायती दर से आयोडाइज्ड नमक देने हेतु खाद्य एवं लोक वितरण विभाग से अनुरोध किया है।
15. सुश्री शीना छाबडा, वरिष्ठ स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ, विश्व बैंक के नेतृत्व में एक संयुक्त कार्यान्वयन समीक्षा मिशन ने 12 से 22 जून, 2017 तक नाको का दौरा किया और अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना में की गई प्रगति की समीक्षा की। इस दल ने मुख्य निष्कर्षों के साथ प्रारूप पत्र प्रस्तुत किया और मंत्रालय के समक्ष सिफारिश दी।
16. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जून, 2017 माह में मोतियाबिंद की लगभग 2.07 लाख सर्जरी की गई, लगभग 9,267 निःशुल्क चश्मे स्कूल के बच्चों को वितरित किए गए तथा लगभग दान किए गए 237 नेत्र एकत्र किए गए।

******